बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

—: आदेश :—

दीपक कुमार कौशिक, सहायक निदेशक बिपार्ड गयाजी द्वारा दिनांक—23.10.2025 को बिपार्ड गयाजी के ब्रह्मपुत्र छात्रावास में औचक निरीक्षण करके बिपार्ड गयाजी के पत्रांक—7422, दिनांक—24.10.2025 द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। निरीक्षण के क्रम में बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के प्रशिक्षु उप प्राचार्य को आवंटित कमरा संख्या—141 में नशीले पदार्थ (सिगरेट, तम्बाकू एवं गुटखा) एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री पायी गयी। उक्त के आलोक में प्रशिक्षु—श्री रजनीश कुमार, प्रशिक्षु बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के उप—प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर से बिपार्ड गयाजी द्वारा पत्रांक—7431, दिनांक—24.10.2025 के माध्यम से स्पष्टीकरण पूछते हुए पत्रांक—7442, दिनांक—25.10.2025 के माध्यम से आवासीय प्रशिक्षण से विरमित किया गया साथ ही पत्रांक—7576, दिनांक—31.10.2025 द्वारा इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा की गयी।

2. तदालोक में निदेशालय के पत्रांक—2802, दिनांक—12.11.2025 के माध्यम से श्री रजनीश कुमार, उप—प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर से स्पष्टीकरण की मांग किया गया। तद्नुसार पत्रांक—2802, दिनांक—12.11.2025 के आलोक में रजनीश कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि वर्णित औचक निरीक्षण उनके अनुपस्थिति में की गयी। आंवटित कमरा संख्या—141 की दूसरी चाभी ब्रह्मपुत्र हॉस्टल प्रभारी के पास रहता है, तथा प्रत्येक दिन सफाई कर्मी उनकी अनुपस्थिति में साफ—सफाई किया करते थे। इस आशय की सूचना बिपार्ड प्रबंधक को दिया गया था किन्तु बिपार्ड प्रबंधक द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी। श्री कुमार द्वारा बताया गया कि कमरा संख्या—141 में सिगरेट एवं गुटखा प्राप्त होने की जानकारी उनको नही है कि यह पदार्थ इनके कमरे में कहाँ से आया। श्री कुमार द्वारा बताया गया कि वे कभी इन पदार्थो का सेवन नही किये हैं और न ही करते हैं।

3. श्री रजनीश कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण में वर्णित तथ्यों यथा—कमरे की दूसरी चाबी ब्रह्मपुत्र हॉस्टल के प्रभारी के पास रहता है अथवा नही तथा औचक निरीक्षण संबंधित प्रशिक्षुओं की अनुपस्थिति में किये जाने से संबंधित बिंदुओं पर साक्ष्य सहित मंतव्य की मांग निदेशालय के पत्रांक—615, दिनांक—02.04.2026 द्वारा बिपार्ड गयाजी से किया गया, किन्तु बिपार्ड, गयाजी द्वारा अबतक साक्ष्य सहित मंतव्य उपलब्ध नही कराया गया है।

4. बिपार्ड, गयाजी का परिसर तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित है। सिगरेट, गुटखा एवं तम्बाकू प्रशिक्षुओं के कमरे में पाया जाना अनुशासन की दृष्टि से अनुचित है। साथ ही गैर जिम्मेदारी एवं नियमों के उल्लंधन का भी परिचायक है। किन्तु उल्लेखनीय है कि तम्बाकूजनित पदार्थ प्रशिक्षु के पास से बरामद नही हुए है तथा वे इसका उपयोग करते हुए भी नही पाये गये है। इसके अतिरिक्त कमरे में सफाई कर्मियों एवं अन्य कर्मियों का आवागमन प्रशिक्षु की अनुपस्थिति में होता रहता है।

5. अतः लगाये गये आरोप एवं आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के सम्यक् समीक्षोपरांत, श्री रजनीश कुमार, उप—प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर को संदेह का लाभ देते हुए भविष्य के लिए सचेत रहने का निदेश देते हुए लगाये गये आरोप से मुक्त किया जाता है। साथ ही श्री रजनीश कुमार, उप—प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर को नये सिरे से प्रशिक्षण में शामिल किये जाने का आदेश दिया जाता है।

6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/—
आशुतोष कुमार
सरकार के संयुक्त सचिव।

(16)

ज्ञापांक –टी0–01/स्था0(4)राज0–59/2025..... दिनांक–.....

प्रतिलिपिः– निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण), बिहार, पटना/सहायक निदेशक, बिपार्ड, गयाजी/सहायक निदेशक बिपार्ड गयाजी/श्री रजनीश कुमार, उप–प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक –टी0–01/स्था0(4)राज0–59/2025.....1637 दिनांक–09/11/2026

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, युवा, रोजगार कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9-11-26
सरकार के संयुक्त सचिव।